

पंजीयन

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष १०

अधिकारी/कर्मचारी का (पुनः) नाम तथा उस सेवा का नाम, नियमों वह सं. २२ नो २३ डिप्टिड (८ डिप्टिड की सं.) २. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 19500-62000 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 11/7/2019

19

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, विभाग संघीय स्थित का	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		वर्तमान मूल्य	व्यवस्थापक के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसके किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वरूप	संपत्ति से वार्षिक आय	आ
	गह, रक्षा, अन्य धरोहर	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
NIL							

वहां जल न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य का अनुमान करें।

** इसमें अलावाकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवाएं (अनारथ) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों और असाक्षित हैं कि वह सेवा में पदवी विद्यमान के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदवी के परस्पर यह नियमों के अंतर्गत कार्य और उसमें वह उनके स्वाभिमानी की सेवा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके अधिकार के अंतर्गत अर्जित के तारीख पर या किसी अन्य तरीके से नाम पर पट्टे या वंशक पर उससे द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्तियों के तारीखें हैं।

संकेत सं. - 1712-असस/अ.स. - 26-1-65-10, 1002.

हस्ताक्षर

24/12/18

नाम

22 नो 23 डिप्टिड

पद

22 नो 23 डिप्टिड